प्रेषक,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी
एडवोकेट
चेम्बर नं0 41, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड,
कानपुर नगर।

सेवा में,

श्रीमान् जनसूचना अधिकारी/निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
कानपुर क्षेत्र,

विषयः– प्रार्थना जन सूचना अधिकार 2005 प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.16

महोदय,

प्रार्थी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सन्दर्भ में निम्न सूचना चाहता है। आवश्यक शुल्क 10/–रू0 मात्र पोस्टल आर्डर सं0 36F 501931 अदा किया गया है तथा दिनांक 23/04/16 दिया गया है।

प्रश्न सं0 1– क्या आराजी सं0 158ब रकबा 2 बिस्वा ग्राम नारामऊ बांगर आपकी सम्पत्ति है ?

उत्तरः–

प्रश्न सं0 2– क्या आराजी सं0 160 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा तथा आराजी सं0 161 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वांसी आपकी सम्पत्ति है। यदि हॉ तो कब और किसके आर्डर से और किस स्कीम से अधिग्रहित की गयी है ?

उत्तरः–

प्रश्न सं0 3– क्या उपरोक्त आराजी का मुआवजा दिया गया है तो कब और कितना और किसको ?

उत्तरः–

कृपया उपरोक्त सूचना प्रश्नो कम सं0 1, 2 एवं 3 की जानकारी अवश्य देवे।

दिनांकः– 23/04/16

प्रार्थी

Chandra Tripathi

सुशील चन्द्र त्रिपाठी

RTI MATTER / BY SPEED POST

सं.25(52)/2014/RTI/10

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

कानपुर – 208017।

फोन : 0512-2570575

फैक्स : 0512-2570247

ई–मेल : nsikanpur@nic.in

दिनांक: 04.05.2016

सेवा में,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
एडवोकेट, चेम्बर नं0–41,
कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड,
कानपुर

संख्या 788
दिनांक 5/5/16

विषय : प्रार्थनापत्र जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005।

महोदय,

कृपया आपके पत्र दिनांक 23.04.2016 का सन्दर्भ लें। इसी संदर्भ में आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04/05.02.2015 तथा 15/16.04.2015 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो आपको आपके पूर्व के आवेदनों के कम में प्रेषित किये जा चुके हैं। आपको उक्त पत्रों द्वारा सूचित किया जा चुका हैं कि आवश्यक जन सूचना अधिकार शुल्क केवल 'निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर' के नाम प्रेषित किया जाना चाहिये।

उक्त पत्रों द्वारा सूचित जानकारी को ध्यान में न लेते हुये आपने अपने वर्तमान आवेदन के साथ प्रेषित भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 36F 501931 पर भी पानेवाले अधिकारी का नाम 'श्रीमान जनसूचना अधिकारी/निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर' लिखा है, जो कि स्वीकार्य नहीं है।

उपरोक्त के कम में आपके द्वारा प्रेषित दिनांक 23.04.2016 का मूल आवेदन तथा मूल भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 36F 501931 इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से आपको लौटाया जा रहा है कि जन सूचना अधिकार शुल्क केवल 'निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर' के नाम प्रेषित करें।

भवदीय,

4/5/16

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

संलग्नक : दिनांक 23.04.2016 का मूल आवेदन तथा मूल भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 36F 501931।